न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 70/2008 (मूल वाद संख्या : 06/1987)
GCMS NO. : 2008/00083

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. हापूराम पुत्र चनणा जी के कायम मुकाम 1/1. अमराराम पुत्र हापूराम 1/2. हुक्माराम पुत्र हापूराम 1/3. प्रेमराम पुत्र हापूराम 1/4. मंगलाराम पुत्र हापूराम 1/5. केसाराम पुत्र हापूराम 1/6. सोनकी पत्नी हापूराम 1/7. बगदू देवी पुत्र हापूराम जातियान– माली जातियान– माली, निवासीगण– आ0कालू, तहसील– जैतारण जिला पाली राज0।		1. रामदीन पुत्र भंवरू के कायम मुकाम 1/1. भरत पुत्र रामदीन 1/2. मोती पुत्र रामदीन 1/3. राणाराम पुत्र रामदीन 1/4. सोहनी पुत्री रामदीन 2. पाबू पुत्र भंवरू 3. तुलछा पुत्र भंवरू के कायम मुकाम 3/1. भानी देवी पुत्री तुलछा 3/2. संतोष पुत्री तुलछा 3/3. मंजू पुत्री तुलछा 3/4. कचरू पुत्र तुलछा फौत के का0मु0 3/4/1. सेणकी पत्नी कचरू 3/4/2. पिंटू पुत्र कचरू 3/5. मुन्ना पुत्र तुलछा 3/6. दिनेश पुत्र तुलछा 4. रूपा पुत्र भंवरू 5. तेजा पुत्र भंवरू जातियान– माली, निवासीगण– आ0कालू

दावा बाबत् इस्तकार हक व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व सपठित धारा 125 भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू:.23.01.1987

उपस्थित:–

1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री चुतरा राम भाटी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक:– 17/02/2022

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व सपठित धारा 125 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादी की [illegible] काश्त की आराजी खसरा नम्बर 476 रकबा 06–02 बीघा [illegible] लिलरिया सरहद मौजा आनन्दपुर कालू चक नम्बर एक में [illegible] मात्र भोक्ता व मालिक वादी है, मौके पर कब्जा काश्त है व खेत के पूर्व दिशा में गउचर भूमि, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में नगा माली का खेत एवं बेरा शेखावतों वालों [illegible] तथा दक्षिण दिशा में गउचर भूमि है उपरोक्त पड़ोसों के बीच का खेत का एकमात्र मालिक व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तेदार वादी है सेटलमेन्ट से पूर्व से लेकर आज तक लगातार एकमात्र कब्जा काश्त दी का रहा हैं एवं खेत में वादी का रहवासी मकान व बाड़ा बना हुआ हैं। वादी हमेशा इस खेत का लगान भी राज्य सरकार को अदा करता आ रहा है। बिगोड़ी की नकल ाथ पेश है। वादी व उसके पिता चनणाजी का इस खेत में काश्त है। सम्वत् 2011 से 2019 में वादी के पिता चनणा का काश्त गिरदावरी में दर्ज है। खसरा गिरदावरी की नकल साथ पेश है। वक्त सेटलमेन्ट गलती से वादी के पुश्तैनी कब्जा काश्त व खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 476 सरहद मौजा आ0कालू चक नम्बर प्रथम के रेकर्ड ऑफ राइट्स में प्रतिवादीगण के पिता भंवरू वल्द ईश्वर कौम माली के नाम का गलत इन्द्राज हो गया व भंवरू के अन्तकाल के बाद प्रतिवादीगण का नाम फौतदेगी के म्युटेशन के जरिये रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज किया गया। वास्तव में दावें के फिकरा नम्बर 1 में वर्णित मुतनाजा खेत में प्रतिवादीगण व उनके पिता भंवरू का कभी किसी तरफ का कोई कब्जा काश्त, हक अधिकार न तो था न है न रहा। उनके नाम का इन्द्राज महज एक रोंग एन्ट्री है सम्वत् 2011 में हुये बन्दोबस्त में प्रतिवादीगण के पिता के नाम का गलत इन्द्राज हुआ उसके पूर्व तत्कालीन जौधपुर गर्वमेन्ट द्वारा सम्वत् 1997 में बन्दोबस्त हुआ था उसमें मौजूदा खसरा नम्बर 476 कालू चक 1 के पैमायश खसरा नम्बर 412, 413, थे जो वादी के पिता चनणाराम के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज था व उसी का कब्जा काश्त था। सम्वत् 1997 के बन्दोबस्त की खतौनी की नकल साथ पेश है जिससे भी वादी व उसके पिता का कदीम से बतौर खातेदार काश्तकार बखूबी साबित है व वादी खसरा नम्बर 476 का एक मात्र खातेदार काश्तकार है और ऐसा घोषित करवानें का अधिकारी है। प्रतिवादीगण को उनके नाम राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 476 का गलत रूप से इन्द्राज होनें से प्रतिवादीगण की नीयत खराब है और वादी का बलपूर्वक बेदखल कर उक्त खेत पर कब्जा करनें पर आमदा है और दिनांक 18.01.1987 को तमाम प्रतिवादीगण द्वारा लाठिया व कुल्हाड़िया लेकर आये व कब्जा करनें की नीयत से वादी को ऐलानिया धमकी दी की हर हालत में वादी को बेदखल कर कब्जा कर लेगें। यदि प्रतिवादी द्वारा वादी को जमीन मुतनाजा से बेदखल कर दिया गया तो वादी को असीम हानि होगी और उसकी किसी तरह क्षति पूर्ति की जाना संभव नहीं है। व वादी को होनें वाली क्षति का मूल्यांकन रुपयों में नहीं किया जा सकता। जिससे वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनें का अधिकारी है इसलिये दावा बाबत् इस्तकार हक व हुक्म इम्तनाई दवामी व दुरुस्ती रेकर्ड खिलाफ प्रतिवादीगण पेश है। बिनाय वाद दिनांक 18.01.1987 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बेदखल करनें की कोशिश करनें व बेदखल करनें की ऐलानिया धमकी देनें पर बमुकाम कालू तहसील जैतारण में पैदा हुआ जो अन्दर म्याद है और हद अखत्यार समायत अदालत बाला के है व आराजी मुतनाजा श्रीमान् के क्षैत्राधिकार में स्थित है व पक्षकारान् भी श्रीमान् के क्षैत्राधिकार के निवासी है जिसके दावा अदालत बाला के सुनने का अधिकार है। इस्तदुआ वादी निम्नलिखित है :- (क) यह घोषित किया जावें कि खसरा नम्बर 476 रकबा 06-02 बीघा किस्म चाही चारम सरहद मौजा लिलरिया कालू चक नम्बर 1 का एक मात्र खातेदार काश्तकार व भोक्ता वादी है ऐसा घोषित किया जावे। (ख) वादी यह भी घोषित करवानें का अधिकारी है कि खसरा नम्बर 476 सरहद मौजा लिलरिया कालू चक नम्बर 1 के रेकर्ड ऑफ राइट्स में प्रतिवादीगण के नाम गलत रूप से दर्ज है और उनके नाम की एन्ट्री रोंग एन्ट्री है जिसे दुरुस्त करवाकर वादी अपना नाम बतौर खातेदार काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

के दर्ज करवानें का अधिकारी है। ऐसा घोषित फरमावें। (ग) सरहद मौजा लिलरिया कालू चक नम्बर 1 में वाके आराजी खसरा नम्बर 476 रकबा 06-02 बीघा किस्म चाही किस्म में वादी स्वयं काश्त करें व करवावें व काश्त के मुताबिक कुल काम करें या करवावें उसमें प्रतिवादी स्वयं उनके नौकर, हाली एजेन्ट, आदि हमेंशा के लिये वादी के काश्त व कब्जे में किसी तरह की दखल व दस्तन्दाजी करनें से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोके जावें। (घ) कुल खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें। दावे की रूह से कोई दादरसी मुफीद वादी को अता फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश किया गया जो सामिल मिसल किया। प्रतिवादीगण ने जवाब दावा में कथन किया है कि दावे का पद संख्या 01 गलत होनें से अस्वीकार है खसरा नम्बर 476 रकबा 06-02 बीघा सरहद मौजा लिलरिया आ0कालू चक एक में आई हुई हैं जिस पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त वक्त सेटलमेन्ट से अपने बाप दादे से लगातार शान्तिपूर्वक बिना किसी रोक टोक से चला रहा है। मुतनाजा भूमि पर वादी कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। पद संख्या 02 गलत होनें से अस्वीकार है, मुतनामा जमीन पर प्रतिवादीगण के जानवर बैल आदि बान्धने के लिये प्रतिवादीगण का छप्परा बना हुआ है। प्रतिवादीगण आनन्दपुर कालू में रहते और अपने बेरे कुआं पदावतों वाला पर दिन में जाते हैं। मुतनाम जमीन पर प्रतिवादीगण के चालीय पचास बौरड़ियों के पेड़ है जिनकी पैदावर जमीन हड़पने की नियत से वादी अपनी नियत खराब कर झूठा दावा पेश किया है। पद संख्या 03 गलत होनें से अस्वीकार है वादी ने मुतनाजा जमीन का कभी भी लगान नहीं दिया तथा न कभी वादी का कब्जा काश्त उक्त जमीन पर रहा है। प्रतिवादीगण वक्त सेटलमेन्ट के पहले से शान्तिपूर्वक मुतनाजा जमीन पर काश्त करने आ रहे हैं। माफिक कब्जा काश्त के सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा पर्चा लगान प्रतिवादीगण के नाम जारी किया गया हर वर्ष प्रतिवादीगण मुतनाजा जमीन का लगान राज्य सरकार को अदा करते आ रहे हैं जिसकी रसीदें फोटो प्रतिलिपियां पेश है। साथ पर्चा लगान प्रति पेश है। सम्वत् 2011 से 2019 तक वादी का नाम गिरदावरी में दर्ज है, जो गलत है। कभी भी मुतनाजा जमीन पर वादी का कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादी गांव का पंच मौतबीर व्यक्ति है, जो गिरदावरी में हेराफेरी कराई होगी। पद संख्या 4 गलत होनें से अस्वीकार है, वक्त सेटलमेन्ट से प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त रहा है। किसी प्रकार का कोई गलत इन्द्राज नहीं है केवल मात्र मुतनाजा जमीन को हड़पने की नीयत से गलत इन्द्राज होना दावा में वादी ने लिखा है जो बेबूनियाद हैं यदि उक्त इन्द्राज गलत होता तो प्रतिवादीगण के पिता फौत हुये 22 वर्ष हो गये हैं उस वक्त भी वादी आपत्ति कर सकता था, लेकिन वादी को मालमू था कि मुतनाजा जमीन प्रतिवादीगण की है और प्रतिवादीगण ही काश्त करते है। पूर्व में तत्कालीन गर्वमेन्ट द्वारा सम्वत् 1997 में बन्दोबस्त हुआ था। [illegible] नम्बर 476 की जगह खसरा नम्बर 412 व 413 ही थे। केवल [illegible]ाने से उक्त जमीन का वादी को खातेदारी काश्तकारी घो[illegible]ते है। दावे का पद संख्या 5 गलत होनें से अस्वीकार है। वादी की नियत बि[illegible] जानें से महज उक्त भूमि को हड़पने व फसल लेनें की नियत से रोन्ग एन्ट्री बता कर बल पूर्वक बेदखल करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:02 IST
Reason: SelfAttested

दावे में लिखा है। दावे का पद संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार है, मुतनाजा मीन पर वादी का कब्जा काश्त नहीं हैं। राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण का नाम वक्त टलमेन्ट से दर्ज है, जो सही है। वाद का पद संख्या 7 गलत होनें से अस्वीकार हैं। नांक 18.01.1987 को प्रतिवादीगण ने वादी को कोई धमकी नहीं दी। क्योंकि वादी ा मुतनाजा जमीन पर कब्जा ही नहीं था तो धमकी देनें का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ादी का वाद म्याद बाहर होनें से खारिज किया जावें। दावे का पद संख्या 08 ानूनी है जो गौर अदालत बाला के है। दावे का पद संख्या 09 इस्तदुआ बाबत् ालत होनें से अस्वीकार है, वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करनें का हकदार हीं है। अतः वादी का वाद मय हर्जे व खर्चे से खारिज किया जावे। वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करनें का हकदार नहीं है। क्योंकि वादी ने उक्त वादी झूठा पेश किया है। इसलिये वादी का वाद मय हर्जे व खर्चे से खारिज किया जावें। प्रकरण में विवाद्यक कायम की जाकर उभयपक्ष को पर्याप्त एवं समुचित अवसर देते हुये साक्ष्य वादीगण, साक्ष्य प्रतिवादीगण, सम्पन्न कि गई। पत्रावली पर अन्य कोई प्रार्थनापत्र किसी भी कार्यवाही एवं आदेशार्थ लम्बित नहीं होने से प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया गया। संगत विधिक प्रावधानों का भलीभांति अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। प्रकरण का विवाद्यकवार पृथक-पृथक विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः-

1. आया वादी सरहद मौजा लिलरिया पटवार हल्का आ0 कालू चक प्रथम में वाके आराजी खसरा नम्बर 476 रकबा 6-02 बीघा किस्म चाही चारम का काबिज खातेदार काश्तकार है व ऐसी घोषणा वादी प्राप्त करनें का अधिकारी है?

जिम्मे वादी

यह विवाद्यक साबित करनें की जिम्मेदारी वादीगण की है। वादीगण द्वारा वादपत्र में यह अभिव्यक्त किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 476 रकबा 06-02 बीघा जिसके पूर्व व दक्षिण में गोचर भूमि पश्चिम में आम रास्ता तथा उत्तर में नगा माली का खेत एवं बेरा शेखावतों वाला की भूमि है। जिसके एक मात्र मालिक खातेदार व कब्जा काश्त भू प्रबन्ध पूर्व से वादीगण का है। वक्त सेटलमेन्ट गलती से वादी के पुश्तैनी कब्जा काश्त खातेदारी भूमि के रेकर्ड ऑफ राईटस् में प्रतिवादीगण के पिता भंवरू और ईश्वर माली का नाम गलती से इन्द्राज हो गया व भंवरू के इंतकाल के बाद फौतदेगी नामान्तरण से प्रतिवादीगण का गलत नाम दर्ज हुआ है। वादीगण द्वारा बतौर वादी साक्ष्य वादी हापूराम पुत्र चनणाराम के शपथ पत्र PW-1 की जिरह अनुसार वादग्रस्त आराजी की खसरा गिरदावरी क्रमशः सम्वत् 2010-2013 प्रदर्श-1, 2014-2016 प्रदर्श-2, 2017-2020 प्रदर्श-3, सम्वत् 2042-2045 प्रदर्श-4, 2038-2041 प्रदर्श-[illegible] बन्दोबस्त सम्वत् 2007-2008 प्रदर्श-6, खतौनी मौजा [illegible] जोधपुर गवर्नमेन्ट परगना जैतारण की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-7, सम्वत् [illegible] ऑफ जोधपुर बैरा पद्मावता वाला की खसरा मिलान की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-8, नकल नक्शा ट्रेस दिनांक 08.01.1987 प्रदर्श-10, जमाबन्दी सम्वत् 2042-2045 प्रदर्श-11, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

रदावरी सम्वत् 2010-2020 प्रदर्श-12, खतौनी मौजा जोधपुर गवर्नमेन्ट सम्वत् 997 प्रदर्श- 13, बिगोड़ी की रसीद संख्या 002052/22 प्रदर्श-14, दिनांक 07. 2.2004 की मौका कमिश्नर रिपोर्ट पटवारी आ0कालू प्रदर्श-15, बतौर वादी साक्ष्य दर्श करवाये जाकर जिरह कि गई। साक्ष्य वादी द्वारा वादपत्र के कथनों एवं तथ्यों का समर्थन किया। साक्ष्य वादी हेतु गवाह शपथ पत्र श्री तेजाराम पुत्र भंवरूराम जाति माली निवासी लिलरिया उम्र 55 वर्ष PW-2 द्वारा शपथपत्र पर वादपत्र के समर्थन में कथन किया तथा दौराने जिरह यह स्वीकार किया कि वह विवादित जमीन का पड़ोसी है, इस जमीन पर कब्जा काश्त हापूजी का रहा है। रामदीन वगैराह इस भूमि पर हर साल काश्त नहीं करते है बल्कि चार पीढ़ी से हापूजी चनणा जी का ही चला आ रहा है। वादी प्रतिवादी मेरें गौत्रीय भाई इस जमीन पर हापूजी के पूर्वजों की चार पीढ़ी से मकान बने हुये है। इस प्रकार वादी साक्ष्य में गवाह श्री पोखर राम पुत्र सुजाराम जाति माली द्वारा शपथपत्र पर जिरह के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसकी जमीन विवादित जमीन से एक किलोमीटर की दूरी पर है। इस जमीन के पड़ोस में जानता हूं, हमनें कभी नहीं देखा की रामदीन का इस जमीन पर कब्जा व काश्त हों। हम छोटे थे तब से इस भूमि पर हापूजी के पिता चनणा जी काश्त करते थे। मौके पर जमीन में रामदीन की झोपड़ी न होकर हापूजी एवं पूर्वजों से ही इनके ही मकान बने हुये है। इनको चार पीढ़ी हुई जमीन काश्त करते देखा है। PW-3 साक्ष्य वादी में साक्ष्य पोकरराम पुत्र सुजाराम जाति- माली उम्र 71 वर्ष निवासी ग्राम लिलरिया तहसील जैतारण द्वारा वादपत्र के कथनों का समर्थन करते हुये कथन किया है कि मेरी जमीन विवादित जमीन के एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जमीन के पड़ोस में जानता हूं, अगुणी गोचर, अथूण में सड़क, धुराउ में भदावतों की जमीन तथा सड़क आई हुई, हमनें इस जमीन पर कभी भी रामदीन को कब्जे काश्त नहीं देखा है। हमनें तो हापूराम जी को काश्त करते देखा है। हम छोटे थे तो हापूराम जी के पिता चनणा जी को काश्त करते देखा है।

प्रतिवादी साक्ष्य में प्रतिवादी रूपाराम पुत्र भंवरू निवासी आ0कालू उम्र 70 वर्ष द्वारा बतौर प्रतिवादी साक्ष्य जवाब दावा के कथनों का शपथ पत्र DW-1 पर समर्थन करते हुए दौरान-ए-जिरह निम्नलिखित दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये, प्रदर्श-1 व प्रदर्श-1ए क्रमश असल बिगोड़ी रसीद व फोटोकॉपी, प्रदर्श-2 व प्रदर्श-2ए क्रमश रसीद संख्या 23985 असल व फोटोकॉपी, प्रदर्श-3 व प्रदर्श-3ए रसीद संख्या 8771 असल व फोटोकॉपी, प्रदर्श-4 व प्रदर्श-4ए रसीद संख्या 19356 असल व फोटोकॉपी, प्रदर्श-5 व प्रदर्श-5ए रसीद संख्या 40832 असल व फोटोप्रति, प्रदर्श-6 व प्रदर्श-6ए रसीद संख्या 16940 असल व फोटोप्रति, प्रदर्श-7 व प्रदर्श-7ए रसीद संख्या 17989 असल व फोटोकॉपी, प्रदर्श-8 व प्रदर्श-8ए रसीद संख्या 10537 असल व फोटोकॉपी, प्रदर्श-9 असल पासबुक, प्रदर्श-10 व प्रदर्श-10ए रसीद संख्या 941/2 असल व फोटोकॉपी, प्रदर्श-11 व प्रदर्श-11ए [illegible] असल व फोटोप्रति। प्रदर्श 01 से प्रदर्श-10 है वह लगान [illegible] खसरा संख्या 476 का अंकन नहीं है। प्रदर्श-11 पर्चा लगान [illegible] संख्या 47[illegible] ईसर के नाम का है। यह जमीन बेरा भदावतों वाला सरहद कालू [illegible] प्रथम बेरे के जाव की भूमि हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

ह सही है कि प्रदर्श-11 सन् 1954 में दर्ज हुआ। सम्वत् 2008-2009 में ट्लमेन्ट हुआ उससे पहले खालसा था जो जोधपुर दरबार के अधीन था। प्रदर्श-18 सरा 476 नये एवं पुराने 412 व 413 का मिलान प्रमाणित प्रति हो मुझे नहीं ता। प्रतिवादी साक्ष्य में प्रतिवादी रूपाराम पुत्र भंवरू निवासी आ0कालू उम्र 60 वर्ष द्वारा बतौर प्रतिवादी साक्ष्य जवाब दावा के कथनों का शपथ पत्र DW-2 पर समर्थन करते हुए दौरान-ए-जिरह यह कथन किया है कि मेरी जमीन सरहद मौजा लिलरिया ग्राम मे आई हुई है, जिसका रकबा 06-02 बीघा है जिस पर मेरा कब्जा है, उक्त जमीन हमारें पांचों भाईयों के नाम की है, इससे पहले मेरे पिताजी के नाम की थी, खेत में हमारा झोपड़ा बना हुआ है। सेटलमेंन्ट में मेरे पिताजी भंवरू के नाम का पर्चा लगान आया है तथा जिसकी बिगोड़ी हम भरते है। हम प्रतिवादी एवं मेरे भाई को तथा पटवारी को पीठासीन अधिकारी की ओर से आदेश से मौके पर मौका रिपोर्ट दी जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रदर्श-P-15 सही होना कथन किया हैं। मेरे द्वारा प्रस्तुत बिगोड़ी रसीद प्रदर्श-1 से 10 तक में खसरा संख्या अंकित नहीं है। मैं वादी को जानता हूं यह सही है कि हापूराम के पिता चन्दनाराम है। चन्दनाराम की मृत्यु हापूराम पश्चात् तथा हापूराम की मृत्यु बाद वादी पक्षकार है।

इस प्रकार वादपत्र, जवाब दावा, प्रदर्श दस्तावेजात् तथा उभयपक्ष की साक्ष्य के अवलोकन एवं विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रदर्श-07 एवं प्रदर्श-17 खतौनी मौजा कालू चक प्रथम परगना जैतारण जोधपुर गर्वमेन्ट सम्वत् 1997 के अनुसार खसरा संख्या 412 व 413 बतौर कृषक **"चनणीयों बेटो देवारो ने नगलो बेटो जेरामरो जात रा माली वासी गांवरा बहिस्सा बराबर"** दर्ज है। प्रदर्श-8 खसरा मौजा कालू चक प्रथम परगना जैतारण जोधपुर गर्वमेन्ट सम्वत् 1997 के कॉलम संख्या 07 जरिया आबपाशी में खसरा संख्या 412 व 413 के सम्मुख बेरा पदावतां दर्ज है अर्थात् खसरा संख्या 412 व 413 की भूमि के पानी का स्त्रोत बेरा पदावतां था। वादी एवं प्रतिवादीगण दोनों द्वारा वादग्रस्त भूमि को बेरा पदावतां वाला होना स्वीकार किया है। प्रदर्श-6 खसरा बन्दोबस्त मौजा आ0कालू चक प्रथम परगना जैतारण सम्वत् 2007-2008 के अनुसार पुराने खसरा संख्या 412 व 413 की भूमि से नवीन खसरा संख्या 476 बनाया गया जिसका कुल रकबा 06-02 बीघा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 476 रकबा 06-02 बीघा जो कि बेरा पदावतां वाला के नाम से जानी जाती हैं, का पूर्व खसरा संख्या 412 व 413 है। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा में भी इस कथन का समर्थन किया है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रवर्तन में आने से पूर्व अर्थात् रियासत काल में वादग्रस्त आराजी जोधपुर रियासत से शासित थी तथा जिस पर चनणा पुत्र देवा जो कि वादी के पिता हापूराम के पिता थे के नाम बतौर काश्तकार दर्ज थी। जिसके खसरा संख्या 412 व 413 थे जिससे नवीन खसरा संख्या 476 बने। प्रदर्श-11C [illegible] लगान सम्वत् 2011 से 2030 सेटलमेन्ट विभाग राजस्थान के अनुसार [illegible] खसरा संख्या 476 का पर्चा लगान भंवरू वल्द ईसर कौम माली सा. देह खातेदार के नाम [illegible] अंकित है तथा वादग्रस्त आराजी के खसरा गिरदावरी प्रदर्श-1 सम्वत् 2010 से 2013 के अनुसार सम्वत् 2011, 2012, 2013 में चन्दणा वल्द देवा माली सा0 देह का कब्जा काश्त अंकित

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रदर्श–2 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2014 से 2016 के अनुसार सम्वत् 2015 व 016 तथा प्रदर्श–3 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2016 से 2020 में सम्वत् 2019 चन्दणा वल्द देवा बतौर कब्जा काश्त अंकित है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट पटवारी आ0कालू चक प्रथम प्रदर्श–15 जो कि न्यायालय हाजा के आदेश से उभयपक्ष की परस्थिति में मौका कमिश्नर पटवारी आ0कालू चक प्रथम से मौके पर तैयार की जाकर तलब की गई थी जिस पर प्रतिवादी रामदीन एवं रूपाराम तथा वादी हापूराम, मौका कमिश्नर पटवारी आ0कालू चक प्रथम, एवं अन्य मौतबिरान के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान है जो कि उभयपक्ष एवं अन्य मौतबिरान की उपस्थिति में दिनांक 07.02.2004 को मौके पर तैयार किया जाना अंकित है, के अनुसार मौके पर वादी श्री हापूराम पुत्र श्री चन्दणाराम माली का खसरा नम्बर 476 पर दो मकान बने हुये है जिस पर छत चदर की डाली हुई है तथा बरामदे में अंग्रेजी केलू की छत डाल रखी है तथा बाहर बरामदें में चूल्हा एवं खाना आदि का समान रखा हुआ हैं। मकान के पूर्व में पानी का टांका है तथा पश्चिम दिशा में एक झोपड़ी बनी हुई है। मकान के पास में भैंस बांध रखी है। खसरा संख्या 476 में पशु बाड़ा, पशु गोबर की ऊकड़ी, एवं पशु चारा आदि है। खेत के अन्य भाग में बोड़ीयां खड़ी है। खेत के पूर्व में गोचर भूमि एवं पश्चिम में रास्ता, उत्तर रामदीन की भूमि तथा दंक्षिण में गोचर भूमि होना अंकित किया है। यह मौका रिपोर्ट प्रतिवादी रामदीन के प्रार्थनापत्र पर न्यायालय हाजा द्वारा मंगवाई गई थी तथा इस पर स्वयं प्रतिवादी रामदीन एवं रूपाराम के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान है। इस प्रकार भू प्रबन्धन कार्यवाही के पश्चात् भी खसरा गिरदावरी एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता हैं कि वादग्रस्त आराजी वादी हापूराम के कब्जे काश्त तथा उपयोग उपभोग में रही है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भू प्रबन्धन कार्यवाही से पूर्व वादग्रस्त आराजी वादी हापूराम के पिता चन्दणा वल्द देवा के उपयोग उपभोग तथा कब्जा काश्त में रही हैं तथा चन्दणा वल्द देवा भू अभिलेख में बतौर अभिलिखित काश्तकार दर्ज था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू होने के पश्चात् भू प्रबन्धन कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी के पिता भंवरू वल्द ईसर के नाम पर्चा लगान जारी कर दिया गया तथा इसके आधार पर भंवरू वल्द ईसर को खातेदारी प्रदान कर दी जो कालान्तर में जारी रही, जो कि विधि विरूद्ध है क्योंकि भू प्रबन्ध कार्यवाही पूर्व से ही सम्वत् 1997 से ही वादी हापूराम के पिता चन्दणा वल्द देवा के नाम अभिलिखित काश्तकार दर्ज था तथा भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान अभिलिखित काश्तकार के नाम ही पर्चा लगान जारी किया जाकर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना था, भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान किसी भी काश्तकार के खातेदारी अधिकारों को न तो समाप्त किया जा सकता है तथा न ही अभिधृति का रकबा कम या ज्यादा किया जा सकता हैं। प्रतिवादीगण यह साबित करनें में पूर्णतया असफल रहे है कि वादग्रस्त आराजी वादी के हापूराम के नाम दर्ज थी तो भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान उनके पिता भंवरू वल्द ईसर के नाम पर्चा लगान किसी आधार पर जारी किया गया क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होते ही उपलब्ध भू अभिलेख के आधार पर चन्दणा वल्द देवा को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

5 में निम्नानुसार विधिक उपबन्ध हैं *"15. खातेदारी अभिधारी –(1) धारा 16 और धारा 180 की उपधारा (1) के खण्ड(घ) के उपबंधो के अध्यधीन, प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय, भूमि का उप–अभिधारी या खुदकाश्त के अभिधारी से अन्यथा अभिधारी है जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् उप–अभिधारी या खुदकाश्त के अभिधारी से अन्यथा या राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 101 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन या अनुसार भूमि के आंबटिती के अन्यथा अभिधारी के रूप में मान लिया गया है, या जो इस अधिनियम या राजस्थान भूमि सुधार या जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 या तत्समम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अनुसार भूमि में खातेदारी अधिकार अर्जित कर लेता खातेदार अभिधारी होगा इस अधिनियम उपबन्धों के अध्याधीन इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त समस्त अधिकारों का हकदार होगा और अधिरोपित समस्त दायित्व के अध्याधीन होगा।"* इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी जिसका वादी के पिता चन्दणा जोधपुर रियासतकालीन भू अभिलेख में अभिलिखित काश्तकार दर्ज है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने के साथ ही बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार अर्जित कर चुका था।

खसरा गिरदावरी एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी भू प्रबन्ध कार्यवाही के पश्चात् भी वादी एवं वादी के वारिसान के उपयोग– उपभोग एवं कब्जेकाश्त में रही है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत बतौर साक्ष्य बिगोड़ी रसीद प्रदर्श–1 से प्रदर्श–10 से यह कतई साबित नहीं होता है कि उक्त बिगोड़ी रसीदें वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित हो साथ ही बिगोड़ी रसीद केवल राजकोष के प्रति देयता एवं भुगतान का ही साक्ष्य होती है इससे न तो किसी के खातेदारी अधिकार समाप्त हो सकते है एवं न ही सृजित हो सकते हैं। अतः विवाद्यक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण साबित करनें में पूर्णतया सफल रहे है। अतः हमारे विनम्र अभिमत में वादीगण को वादग्रस्त आराजी ग्राम लिलरिया पटवार हल्का आनन्दपुर कालू चक प्रथम के खसरा नम्बर 476 रकबा 06–02 बीघा किस्म चाही चारम का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा भू अभिलेख से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

2. आया वादी खसरा नम्बर 476 सरहद मौजा कालू चक प्रथम के बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के प्राप्त करनें का अधिकारी है?

जिम्मे वादी

यह विवाद्यक साबित करनें की जिम्मेदारी वादीगण की है। पूर्व विवेचित एवं निर्णित विवाद्यक संख्या एक जो कि वादीगण के पक्ष में निर्णित की जा चूकी है, के विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सम्वत् 1997 से वादीगण के उपयोग उपभोग में है तथा विवाद्यक संख्या एक के द्वारा वादीगण को खातेदार अभिधारी घोषित किया जा चुका हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 92क के अनुसार *"इस अधिनियम में अन्यत्र या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में विनिर्दिष्टतः उपबंधित को छोड़कर, कोई व्यक्ति, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकारों के बारे में विनिर्दिष्टतः अनुतोष अधिनियम 1877 के अध्याधीन के उपबन्धो कें अनुसार और उनके अध्याधीन व्यादेश के लिये वाद ला सकेगा।"* करण में वादग्रस्त आराजी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

का कमिश्नर रिपोर्ट पटवारी आ0कालू चक प्रथम प्रदर्श–15 जिस पर प्रतिवादी मदीन एवं रूपाराम तथा वादी हापूराम, मौका कमिश्नर पटवारी आ0कालू चक प्रथम, अन्य मौतबिरान के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान है, में यह स्पष्ट अंकित है कि दग्रस्त आराजी पर वादीगण का निवास स्थान, पशुशाला, पशुचारा स्थल एवं बाड़ा, नी का टांका आदि निर्मित है तथा वादीगण के उपयोग उपभोग में है। अतः यह र्ण आशंका है कि यदि प्रतिवादीगण द्वारा इस पर अतिक्रमण किया जाता है तो इस े लिये न तो धनीय मुआवजे से इसकी भरपाई की जा सकेगी साथ ही प्रकरण में नावश्यक जटिलता एवं कार्यवाहीयों की बहुलता उत्पन्न होना संभावित है तथा इन ब से वादीगण को बतौर खातेदार अभिधारी अपने अधिकारों के उपयोग उपभोग से हरूम होना पड़ सकता है। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावे में वादग्रस्त आराजी स्वयं े कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग होना अंकित किया है परन्तु उपर्युक्त विवाद्यक को ध्वस्त करनें के लिये कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और प्रदर्श–15 मौका कमिश्नर रिपोर्ट जिस पर प्रतिवादी रामदीन एवं रूपाराम स्वयं के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान है। प्रतिवादी साक्षी तेजाराम पुत्र भंवरलाल DW-2 द्वारा जिरह के दौरान मौका कमिश्नर रिपोर्ट सही होना स्वीकार किया है। इसी प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत स्वतन्त्र गवाह पोकरराम पुत्र सुजाराम PW-3 द्वारा जिरह में यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त आराजी पर हमनें कभी भी रामदीन का कब्जा काश्त नहीं देखा है हमनें तो हापूराम जी को ही काश्त करते देखा है तथा उससे पहलें हापूराम के पिता चनणा जी को भी देखा है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी कभी भी प्रतिवादीगण के उपयोग उपभोग में नहीं रही है और प्रतिवादीगण इस विवाद्यक को साक्ष्य से ध्वस्त करनें में पूर्णतया असफल रहें। अतः प्रतिवादीगण को जरिये शाश्वत व्यादेश से पाबन्द किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा। अतः यह विवाद्यक वादीगण के पक्ष में भलीभांति साबित होने से वादीगण पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

3. *आया वादीगण यह भी घोषणा करवाने का अधिकारी है कि खसरा नम्बर 476 कालू चक प्रथम जो पूर्व सेटलमेन्ट में खसरा नंबर 412 व 413 का ही नया कायम किया हुआ खसरा है ?* ***जिम्मे वादी***

यह विवाद्यक साबित करनें की जिम्मेदारी वादीगण की है। वादीगण द्वारा वादपत्र में यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम आनन्दपुर कालू चक प्रथम के वर्तमान खसरा संख्या 476 जिसका भू प्रबन्ध से पूर्व खसरा संख्या 412 व 413 थे। प्रदर्श–6 खसरा बन्दोबस्त मौजा आ0कालू चक प्रथम परगना जैतारण सम्वत् 2007–2008 के अनुसार पुराने खसरा संख्या 412 व 413 की भूमि से नवीन खसरा संख्या 476 बनाया गया जिसका कुल रकबा 06–02 बीघा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 476 रकबा 06–02 बीघा जो कि बेरा पदावतां वाला के नाम से जानी जाती है [illegible] खसरा संख्या 412 व 413 है। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा में भी [illegible] का समर्थन किया है। वादीगण द्वारा बतौर साक्ष्य प्रस्तुत प्रदर्श–07 खतौनी मौजा कालू चक प्रथम परगना जैतारण जोधपुर गर्वमेन्ट सम्वत् 1997 के अनुसार खसरा संख्या 412 व 413 बतौर कृषक **"चनणीयों बेटो देवारो ने नगलो बेटो जेरामरो जात रा माली वासी गांवरा**

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:02 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा बराबर'' दर्ज है। प्रदर्श–8 खसरा मौजा कालू चक प्रथम परगना जैतारण जोधपुर गर्वमेन्ट सम्वत् 1997 के कॉलम संख्या 07 जरिया आबपाशी में खसरा संख्या 412 व 413 के सम्मुख बेरा पदावतां दर्ज है अर्थात् खसरा संख्या 412 व 413 की भूमि के पानी का स्त्रोत बेरा पदावतां था। वादी एवं प्रतिवादीगण दोनों द्वारा वादग्रस्त भूमि को बेरा पदावतां वाला होना स्वीकार किया है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों के कथनों, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह निर्विवाद साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम लिलरिया पटवार हल्का आनन्दपुर कालू चक प्रथम के खसरा संख्या 476 की भूमि भू प्रबन्ध से पूर्व खसरा संख्या 412 व 413 के रूप में अभिलिखित थी जो कि बेरा पदावतां वाला के नाम से भी जाना जाता है। अतः यह विवाद्यक वादीगण पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

4. आया पूर्व सेटलमेन्ट में खसरा संख्या 476 सरहद मौजा कालू चक के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार वादी के पिता चन्दणाराम थे? ***जिम्मे वादी***

यह विवाद्यक साबित करनें की जिम्मेदारी वादीगण की है। वादीगण ने वादपत्र में यह कथन किया है कि भू प्रबन्ध से पूर्व सरहद मौजा आनन्दपुर कालू चक प्रथम के खसरा संख्या 476 के खातेदार काश्तकार वादी हापूराम के पिता चन्दणाराम थे। वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–07 खतौनी मौजा कालू चक प्रथम परगना जैतारण जोधपुर गर्वमेन्ट सम्वत् 1997 के अनुसार खसरा संख्या 412 व 413 बतौर कृषक **''चनणीयों बेटो देवारो ने नगलो बेटो जेरामरो जात रा माली वासी गांवरा बहिस्सा बराबर''** दर्ज है। इसी प्रकार प्रदर्श–6 खसरा बन्दोबस्त मौजा आ0कालू चक प्रथम परगना जैतारण सम्वत् 2007–2008 के अनुसार पुराने खसरा संख्या 412 व 413 की भूमि से नवीन खसरा संख्या 476 बनाया गया जिसका कुल रकबा 06–02 बीघा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 476 रकबा 06–02 बीघा जो कि बेरा पदावतां वाला के नाम से जानी जाती हैं, का पूर्व खसरा संख्या 412 व 413 हैं। प्रतिवादीगण द्वारा बतौर साक्ष्य प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–11ए पर्चा लगान सम्वत् 2011 से 2030 सेटलमेन्ट विभाग राजस्थान के अनुसार खसरा संख्या 476 का पर्चा लगान भंवरू वल्द ईसर कौम माली सा. देह खातेदार के नाम जारी किया जाना अंकित है, जो कि प्रतिवादीगण के पिता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भू प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व वादग्रस्त आराजी का खसरा संख्या 412 व 413 थे तथा भू प्रबन्ध पश्चात् इससे खसरा संख्या 476 बनाया गया जो वर्तमान में भी है। चुंकि प्रदर्श–07 खतौनी मौजा कालू चक प्रथम परगना जैतारण जोधपुर गर्वमेन्ट सम्वत् 1997 से यह स्पष्ट है कि भू प्रबन्ध से पूर्व वादी हापूराम के पिता चनणा पुत्र देवा एवं नगला पुत्र जेराम वादग्रस्त आराजी में बतौर कृषक अभिलिखित है। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजी जब भू प्रबन्ध पूर्व से ही चनणा एवं नगला के नाम कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में थी तो भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान पर्चा लगान प्रतिवादीगण के पिता भंवरू वल्द ईसर कौम माली के नाम क्यों जारी किया गया। इस प्रकार ... आराजी खसरा संख्या 476 भू प्रबन्ध से पूर्व वादी हापूराम के पिता चनणा जी एवं नगला जी बतौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मलिखित काश्तकार भू अभिलेख में दर्ज थे। अतःयह विवाद्यक वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूध्द निर्णित किया जाता है।

आया दिनांक 18.1.1987 के पूर्व से आज दिन तक खसरा नम्बर 476 सरहद जा आ0 कालू चक प्रथम पर कब्जा काश्त व काश्त वादी व उसके पिता चन्दणाराम ौर खातेदार काश्तकार के है ? जिम्मे वादी

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की है, दीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूध्द हस्तगत वादपत्र ायालय हाजा में दिनांक 23.01.1987 को प्रस्तुत किया। वादीगण द्वारा वादपत्र में य शपथ पत्र यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी भू प्रबन्ध कार्यवाही के पूर्व निरन्तर वादी हापुराम के पिता चन्दणा तथा इनके पश्चात वादी के उपयोग उपभोग वं कब्जे काश्त में रही है। वही प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा में उक्त कथनो को ण्डन करते हुए यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेट्लमेंट से अपने बाप ादे से कब्जे काश्त में रही है तथा मुतनाजा भूमि पर वादी का कभी कब्जा काश्त ाही रहा है। साक्ष्यवादी में वादीगण द्वारा बतौर साक्ष्य प्रस्तुत दस्तावेजात् प्रदर्श 1 वादग्रस्त आराजी की खसरा गिरदावरी सम्वतृ 2010 से 2013 के अनुसार सम्वत् 2011, 2012, 2013 में चन्दणा वल्द देवा माली सा0 देह का कब्जा काश्त अंकित ई, प्रदर्श–2 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2014 से 2016 के अनुसार सम्वत् 2015 व 2016 तथा प्रदर्श–3 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2016 से 2020 में सम्वत् 2019 में चन्दणा वल्द देवा बतौर कब्जा काश्त अंकित है। प्रदर्श–15 मौका कमिश्नर रिपोर्ट पटवारी आ0कालू चक प्रथम जो कि न्यायालय हाजा के आदेश से उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका कमिश्नर पटवारी आ0कालू चक प्रथम द्वारा मौके पर तैयार की जाकर तलब की गई थी जिस पर प्रतिवादी रामदीन एवं रूपाराम तथा वादी हापूराम, मौका कमिश्नर पटवारी आ0कालू चक प्रथम, एवं अन्य मौतबिरान के हस्ताक्षर/अगुष्ठ निशान है जो कि उभयपक्ष एवं अन्य मौतबिरान की उपस्थिति में दिनांक 07.02. 2004 को मौके पर तैयार किया जाना अंकित है, के अनुसार मौके पर वादी श्री हापूराम पुत्र श्री चन्दणाराम माली का खसरा नम्बर 476 पर दो मकान बने हुये है जिस पर छत चदर की डाली हुई है तथा बरामदे में अंग्रेजी केलू की छत डाल रखी है तथा बाहर बरामदें में चूल्हा एवं खाना आदि का सामान रखा हुआ हैं। मकान के पूर्व में पानी का टांका है तथा पश्चिम दिशा में एक झोपड़ी बनी हुई है। मकान के पास में भैंस बांध रखी है। खसरा संख्या 476 में पशु बाड़ा, पशु गोबर की ऊकड़ी, एवं पशु चारा आदि है। खेत के अन्य भाग में बोड़ीयां खड़ी है। खेत के पूर्व में गोचर भूमि एवं पश्चिम में रास्ता, उत्तर रामदीन की भूमि तथा दक्षिण में गोचर भूमि होना अंकित किया है। यह मौका रिपोर्ट प्रतिवादी रामदीन के प्रार्थनापत्र पर न्यायालय हाजा द्वारा मंगवाई गई थी तथा इस पर प्रतिवादी रामदीन एवं रूपाराम के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान है। प्रतिवादी साक्षी तेजाराम ... लाल DW-2 द्वारा जिरह के दौरान मौका कमिश्नर रिपोर्ट सही होना स्वीकार किया है। प्रदर्श 07 खतौनी मौजा कालू चक प्रथम परगना जैतारण जोधपुर गर्वमेन्ट सम्वत् 1997 के अनुसार खसरा संख्या 412 व 413 बतौर काबिज कृषक **"चनणीयों बेटो देवारो ने नगलो बेटो जेरामरो जात रा माली वासी गांवरा बहिस्सा बराबर"** दर्ज है। पूर्व विवेचन से यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

ष्ट है कि भूप्रबन्ध पूर्व के खसरा संख्या 412 व 413 की भूमि से ही वर्तमान खसरा संख्या 476 बना है। इसी प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत स्वतन्त्र गवाह पोकरराम व सुजाराम PW-3 द्वारा जिरह में यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त आराजी पर हमनें कभी भी रामदीन का कब्जा काश्त नहीं देखा है हमनें तो हापूराम जी को ही काश्त करते देखा है तथा उससे पहलें हापूराम के पिता चनणा जी को भी देखा है।

प्रतिवादीगण द्वारा बतौर साक्ष्य प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–11ए पर्चा लगान सम्वत् 2011 से 2030 सेट्लमेन्ट विभाग राजस्थान के अनुसार खसरा संख्या 476 का पर्चा लगान भंवरू वल्द ईसर कौम माली सा. देह खातेदार के नाम जारी किया जाना अंकित है, जो कि प्रतिवादीगण के पिता है। प्रतिवादीगण द्वारा इस बाबत् अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। केवल पर्चा लगान के आधार पर यह साबित नही हो जाता कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के उपयोग उपभोग में रही है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन, वादीगण द्वारा बतौर साक्ष्य प्रस्तुत दस्तावेजात् प्रदर्श 1,2,3 (वादग्रस्त आराजी की खसरा गिरदावरिया), प्रदर्श–7 खतौनी मौजा कालू चक प्रथम परगना जैतारण जोधपुर गर्वमेन्ट सम्वत् 1997, प्रदर्श–15 वादग्रस्त आराजी की मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 07.02.2004, वादी साक्षी पोकरराम पुत्र सुजाराम PW-3 एवं प्रतिवादी साक्षी तेजाराम पुत्र भंवरलाल DW-2 के बयानात् के आधार पर यह साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी भूप्रबन्ध कार्यवाही के पूर्व, कार्यवाही के दौरान एवं इसके पश्चात वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में रही है। प्रतिवादीगण यह विवाद्यक ध्वस्त करने में पूर्णतया असफल रहे है। अतः यह विवाद्यक बखूबी साबित होने से वादीगण के पक्ष में एवं विरूध्द प्रतिवादीगण निर्णित किया जाता है।

6. आया दुबारा सेट्लमेन्ट में वादी के पिता के नाम की जगह प्रतिवादीगण के पिता भंवरू व भंवरू के फौत होनें के बाद प्रतिवादीगण का नाम खसरा नम्बर 476 के खातेदार के रूप में गलत रूप से इन्द्राज हुआ जो रोन्ग एन्ट्री है जिसे हटवाकर वादी जरिये दुरस्ती के अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है? जिम्मे वादी

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की है। वादीगण द्वारा वादपत्र में यह अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 476 जिसका भूप्रबन्ध से पूर्व खसरा संख्या 412 व 413 थे। भूप्रबन्ध कार्यवाही के पूर्व से उपर्युक्त आराजी वादी हापुराम के पिता चन्दणाजी के नाम भू अभिलेख में दर्ज थी लेकिन सेट्लमेंट के दौरान वादी के पिता का नाम हटाकर प्रतिवादीगण के पिता भंवरू के नाम पर्चा लगान जारी कर भू अभिलेख में नाम दर्ज कर दिया गया तथा भंवरू के फौत होने के बाद प्रतिवादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज हुआ जो कि एक गलत प्रविष्टी है जिसे हटाया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक है, वही प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा में यह कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेट्लमेंट से प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में है, तथा माफिक कब्जा काश्त से सेट्लमेंट अधिकारियो द्वारा पर्चा लगान प्रतिवादीगण के नाम जारी किया गया, तथा वक्त सेट्लमेंट से राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम दर्ज है जो कि सही प्रविष्टि है।

पूर्व विवेचित एवं निर्णित विवाद्यक 1, 3 एवं 4 के विवेचन एवं वादीगण द्वारा बतौर साक्ष्य प्रस्तुत एवं प्रदर्श दस्तावेजात् यथा प्रदर्श–07 खतौनी मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

लू चक प्रथम परगना जैतारण जोधपुर गर्वमेन्ट सम्वत् 1997 के अनुसार खसरा ख्या 412 व 413 बतौर काबिज कृषक **''चनणीयों बेटो देवारो ने नगलो बेटो ामरो जात रा माली वासी गांवरा बहिस्सा बराबर''** दर्ज है, तथा प्रदर्श-6 खसरा दोबस्त मौजा आ0कालू चक प्रथम परगना जैतारण सम्वत् 2007-2008 के नुसार पुराने खसरा संख्या 412 व 413 की भूमि से नवीन खसरा संख्या 476 नाया गया जिसका कुल रकबा 06-02 बीघा है। इसी प्रकार प्रदर्श-8 खसरा मौजा ालू चक प्रथम परगना जैतारण जोधपुर गर्वमेन्ट सम्वत् 1997 के कॉलम संख्या 07 रिया आबपाशी में खसरा संख्या 412 व 413 के सम्मुख बेरा पदावतां दर्ज है ार्थात् खसरा संख्या 412 व 413 की भूमि के पानी का स्त्रोत बेरा पदावतां था। ादी एवं प्रतिवादीगण दोनों द्वारा वादग्रस्त भूमि को बेरा पदावतां वाला होना स्वीकार िया है। इसी प्रकार प्रदर्श 1 -वादग्रस्त आराजी की खसरा गिरदावरी सम्वतृ 2010 े 2013 के अनुसार सम्वत् 2011, 2012, 2013 में चन्दणा वल्द देवा माली ग्रा0 देह का कब्जा काश्त अंकित हैं। प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी में प्रस्तुत ्रदर्श-11ए जो कि प्रतिवादीगण के पिता भंवरू के नाम भू प्रबन्ध अधिकारियो द्वारा जारी पर्चा लगान है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दस्तावेजात् के अलावा अन्य कोई ऐसा दस्तावेजात् पेश नही किया है जिससे यह साबित होता हो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व उनके पिता भंवरू का वादग्रस्त आराजी से क्या संबंध था। प्रतिवादीगण द्वारा भू प्रबन्ध कार्यवाही एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आरम्भ/लागू होने के पूर्व के एवं भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उनके पिता भंवरू के नाम पर्चा लगान जारी किये जाने के पूर्व से वादग्रस्त आराजी भंवरू के उपयोग उपभोग एवं काश्त में हो। इस प्रकार भू प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रतिवादीगण के पिता के नाम बिना किसी हक एवं आधार के तथा क्षेत्राधिकार के परे पर्चा लगान जारी किया जाकर भू अभिलेख में भंवरू को बतौर खातेदार दर्ज करना विधि विरूध्द एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है। इस प्रकार उपर्युक्त दस्तावेजात् से यह स्पष्ट है कि भू प्रबन्ध कार्यवाही जो कि तहसील जैतारण में सम्वत 2011 से 2030 के मध्य सम्पादित की गई थी, के पूर्व वादग्रस्त आराजी वादी हापुराम के पिता चन्दणा के नाम जोधपूर रियासत द्वारा शासित एवं संधारित भू अभिलेख में बतौर काबिज काश्त कृषक अभिलिखित थी, तत्समय की खसरा गिरदावरी से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस प्रकार वादी हापुराम के पिता चन्दणा वादग्रस्त आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो कि दिनांक 15.10.1955 को लागु हुआ, के पूर्व से काबिज काश्त थे तथा कानूनन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रवर्तन के साथ ही वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्तकार चन्दणा अपने खातेदारी अधिकार अर्जित कर चुका था, तथा भू प्रबन्ध अधिकारियो द्वारा ऐसे काश्तकार के नाम से ही पर्चा लगान जारी कर इन्हें भू अभिलेख में बतौर खातेदार अभिलिखित किया जाना था। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचित उपलब्ध दस्तावेजात् से यह साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 476 में प्रतिवादीगण के पिता भंवरू एवं तत्पश्चात् उनके स्थान पर प्रतिवादीगण के नाम की बतौर खातेदार की गई प्रविष्टि विधिविरूध्द एवं त्रुटिपुर्ण है जिसे वादीगण विलोपित करवाने के हकदार है। अतः यह विवाद्यक बखूबी साबित होने से वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूध्द निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

आया खसरा नम्बर 476 पर प्रतिवादीगण का कब्जा है व प्रतिवादीगण आऊट ऑफ पजेशन है ? **जिम्मे प्रतिवादी**

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की है। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा में कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट से प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में है, तथा माफिक कब्जा काश्त से सेटलमेंट अधिकारियो द्वारा पर्चा लगान प्रतिवादीगण के नाम जारी किया गया, तथा वक्त सेटलमेंट से राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी में बिगोड़ी रसीदे क्रमशः प्रदर्श–1 व प्रदर्श–1ए क्रमश असल बिगोड़ी रसीद व फोटोकॉपी, प्रदर्श–2 व प्रदर्श–2ए क्रमश रसीद संख्या 23985 असल व फोटोकॉपी, प्रदर्श–3 व प्रदर्श–3ए रसीद संख्या 8771 असल व फोटोकॉपी, प्रदर्श–4 व प्रदर्श–4ए रसीद संख्या 19356 असल व फोटोकॉपी, प्रदर्श–5 व प्रदर्श–5ए रसीद संख्या 40832 असल व फोटोप्रति, प्रदर्श–6 व प्रदर्श–6ए रसीद संख्या 16940 असल व फोटोप्रति, प्रदर्श–7 व प्रदर्श–7ए रसीद संख्या 17989 असल व फोटोकॉपी, प्रदर्श–8 व प्रदर्श–8ए रसीद संख्या 10537 असल व फोटोकॉपी, प्रदर्श–9 असल पासबुक, प्रदर्श–10 व प्रदर्श–10ए रसीद संख्या 941/2 असल व फोटोकॉपी, प्रदर्श–11 व प्रदर्श–11ए पर्चा लगान असल व फोटोप्रति प्रस्तुत की। अव्वल तो बिगोड़ी की रसीदे मात्र राजकोष को देय संदाय भुगतान का प्रमाण मात्र होती है इससे न तो कोई हक एवं अधिकार सृजित या उत्सादित होते है एवं न ही यह किसी भूमि के कब्जा काश्त का प्रमाण होती है। यह केवल इस बात का प्रमाण होती है कि वर्णित राशि का भुगतान किसके द्वारा एवं किस दिनांक को किया गया, दोयम बिगोड़ी की रसीदों में खसरा संख्या का अंकन नही है जिससे यह साबित नही होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत रसीदे वादग्रस्त आराजी से ही संबंधित हो। इसके विपरीत प्रदर्श–15 मौका कमिश्नर रिपोर्ट पटवारी आ0कालू चक प्रथम जो कि न्यायालय हाजा के आदेश से उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका कमिश्नर पटवारी आ0कालू चक प्रथम द्वारा मौके पर तैयार की जाकर तलब की गई थी जिस पर प्रतिवादी रामदीन एवं रूपाराम तथा वादी हापूराम, मौका कमिश्नर पटवारी आ0कालू चक प्रथम, एवं अन्य मौतबिरान के हस्ताक्षर/अगुष्ठ निशान है जो कि उभयपक्ष एवं अन्य मौतबिरान की उपस्थिति में दिनांक 07.02.2004 को मौके पर तैयार किया जाना अंकित है, के अनुसार वादग्रस्त आराजी वादीगण के कब्जे काश्त में है जिस पर वादी हापुराम का निवास स्थान पशुबाड़ा व पशु चारा स्थल आदि निर्मित है। पूर्व विवेचित विवाद्यक संख्या 1,2,4,5 व 6 के विवेचन एवं निर्णय से यह सुस्थापित तथ्य है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के कब्जे काश्त में है तथा प्रतिवादीगण इससे आउट ऑफ पजेशन है। अतः यह विवाद्यक प्रतिवादीगण भली–भॉति साबित करने में असफल रहे है लिहाजा इसे प्रतिवादीगण के विरूध्द एवं वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

8. आया मुतनाजा जमीन पर प्रतिवादीगण [वक्त सेटलमेन्ट] के पहले से आज तक शान्तिपूर्वक बतौर खातेदार काश्तकार [काबिज] है? **जिम्मे प्रतिवादी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:02 IST
Reason: SelfAttested

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की है। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा में यह कथन किया है कि वादग्र[स्त] आराजी वक्त सेटलमेंट के पहले

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में है, तथा माफिक कब्जा काश्त से सेटलमेंट धिकारियो द्वारा पर्चा लगान प्रतिवादीगण के नाम जारी किया गया, तथा वक्त लमेंट से राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण मुतनाजा मीन पर शांतिपूर्वक बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा इस वाद्यक के समर्थन में प्रस्तुत एवं प्रदर्श दस्तावेजात् प्रदर्श 1 से प्रदर्श 10 क्रमशः गोड़ी की रसीदे तथा प्रदर्श 11ए प्रतिवादीगण के पिता भंवरू के नाम जारी पर्चा गान है। पूर्व विवेचित एवं निर्णित विवाद्यक संख्या 1 से 7 में वर्णित एवं विवेचित स्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से यह सुस्थापित तथ्य है कि वादग्रस्त आराजी भू प्रबन्ध पूर्व खसरा संख्या 412 व 413 का भाग थी जो कि भू प्रबन्घ कार्यवाही के श्चात खसरा संख्या 476 है। भू प्रबन्ध कार्यवाही आरम्भ होने, राजस्थान काश्तकारी धिनियम 1955 लागू होने से पूर्व यह भूमि जोधपुर रियासत से शासित थी। तथा जोधपुर रियासतकालीन भू अभिलेख प्रदर्श–07 खतौनी मौजा कालू चक प्रथम परगना जैतारण जोधपुर गर्वमेन्ट सम्वत् 1997 एवं प्रदर्श 1,2,3 (वादग्रस्त आराजी की खसरा गिरदावरिया), प्रदर्श–15 मौका कमिश्नर रिपोर्ट पटवारी आ0कालू चक प्रथम जो कि न्यायालय हाजा के आदेश से उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका कमिश्नर पटवारी आ0कालू चक प्रथम द्वारा मौके पर तैयार की जाकर तलब की गई थी जिस पर प्रतिवादी रामदीन एवं रूपाराम तथा वादी हापूराम, मौका कमिश्नर पटवारी आ0कालू चक प्रथम, एवं अन्य मौतबिरान के हस्ताक्षर/अगुष्ठ निशान है जो कि उभयपक्ष एवं अन्य मौतबिरान की उपस्थिति में दिनांक 07.02.2004 को मौके पर तैयार किया जाना अंकित है,स्वतंत्र गवाह पोकरराम पुत्र सुजाराम PW-3 के जिरह बयान के आधार पर यह साबित है कि वादग्रस्त आराजी रियासतकाल से वादीगण की कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में है तथा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रतिवादीगण के पिता भंवरू के नाम पर्चा लगान जारी करना एवं भंवरू को बतौर खातेदार भू अभिलेख में दर्ज करना विधि विरुध्द, वादीगण के हितो के विरुध्द प्रभाव शुन्य एवं क्षैत्राधिकार बाह्य है। पूर्व निर्णित विवाद्यक संख्या 7 के अनुसार प्रतिवादीगण के पिता एवं तत्पश्चात प्रतिवादीगण के नाम की वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में दर्ज प्रविष्टियां विलोपन योग्य है। अतः यह विवाद्यक प्रतिवादीगण के पक्ष में भली–भॉति साबित नही होने से इसे प्रतिवादीगण के विरुध्द एवं वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

9. **दादरशी** – उपर्युक्त पूर्व निर्णित एवं विवेचित विवाद्यक संख्या 1 से 8 के द्वारा वादपत्र एवं जवाबदावा में उल्लेखित समस्त विवाद्यक विषयो को विवेचित एवं निर्णित किया जा चुका है, तथा वांछित अनुतोष के संबंध मं गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जा चुका है। अतः हमारे विन्रम अभिमत में अन्य कोई विवाद्यक विषय शेष नही है।

अतः उपर्युक्त विवाद्यक वार पृथक–पृथक विवेचन एवं निर्णयन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वाद वादी बखूबी साबित होता है अतः ... थम के ग्राम लिलरिया की तहसील जैतारण पटवार हल्का आनन्दपुर कालू ... भू प्रबन्ध कार्यवाही वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 476 ... से पूर्व जोधपुर रियासत द्वारा एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू ... 412 व 413 का भाग थी शासित एवं संधारित भू अभिलेख अनुसार खसरा ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

ो कि वादीगण के पिता मृतक वादी हापुराम के पिता चन्दणा पुत्र देवा तथा नगा पुत्र राम के नाम काबिज कृषक दर्ज होने, भू बन्दोबस्त कार्यवाही जो कि संवत 2011 शुरू हुई से पूर्व से संवत 2010 से वादग्रस्त आराजी वादी हापुराम के पिता न्दणा द्वारा काश्त की जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागु होने के साथ ही बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ तत्समय काबिज उपभोक्ता काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के कारण तत्समय भू प्रबन्ध अधिकारियो द्वारा बिना किसी हक, अधिकार एवं आधार के प्रतिवादीगण के पिता भंवरू के नाम पर्चा लगान जारी करना तथा तत्पश्चात इसका नाम भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज करना विधि विरूध्द, त्रुटिपूर्ण एवं वादीगण के हक एवं अधिकारो के विरूध्द प्रभाव शुन्य होने से प्रतिवादीगण का नाम भू अभिलेख से विलोपित करते हुए चन्दणा पुत्र देवा के पुत्र एवं मृतक वादी हापुराम पुत्र चन्दणा के वारिसान् के रूप में वादीगण को बतौर खातेदार अभिधारी घोषित करना, प्रतिवादीगण को शाश्वत व्यादेश से पाबन्द करना विधि संगत एवं उचित होगा।

—:: आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए तहसील जैतारण पटवार हल्का आनन्दपुर कालू चक प्रथम के ग्राम लिलरिया की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 476 रकबा 6—02 बीघा के भू अभिलेख में विधि विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण रूप से बतौर खातेदार दर्ज प्रतिवादीगण का नाम विलोपित करते हुये मृतक वादी हापूराम पुत्र चन्दणाराम/चन्द्राराम के वारिसान वादीगण को वादग्रस्त आराजी के खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये शाश्वत व्यादेश पाबन्द किया जाता हैं कि वे स्वयं या अन्य नौकर चाकर, हाली एजेन्ट आदि द्वारा वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का दखल व दस्तन्दाजी न करें न ही करावें। खर्चा मुकदमा वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपना अपना स्वयं वहन करेगें। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला—पाली)

निर्णय आज दिनांक 17/02/2022 को सर—ए—इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला—पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:02 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

ब अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
ईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादीगण :– **बनाम** **–: प्रतिवादीगण :–**

1. हापूराम पुत्र चनणा जी के कायम मुकाम
1/1. अमराराम पुत्र हापूराम
1/2. हुक्माराम पुत्र हापूराम
1/3. प्रेमराम पुत्र हापूराम
1/4. मंगलाराम पुत्र हापूराम
1/5. केसाराम पुत्र हापूराम
1/6. सोनकी पत्नी हापूराम
1/7. बगदू देवी पुत्र हापूराम
जातियान– माली
जातियान– माली, निवासीगण– आ0कालू, तहसील– जैतारण जिला पाली राज0।

1. रामदीन पुत्र भंवरू के कायम मुकाम
1/1. भरत पुत्र रामदीन
1/2. मोती पुत्र रामदीन
1/3. राणाराम पुत्र रामदीन
1/4. सोहनी पुत्री रामदीन
2. पाबू पुत्र भंवरू
3. तुलछा पुत्र भंवरू के कायम मुकाम
3/1. भानी देवी पुत्री तुलछा
3/2. संतोष पुत्री तुलछा
3/3. मंजू पुत्री तुलछा
3/4. कचरू पुत्र तुलछा फौत के का0मु0
3/4/1. सेणकी पत्नी कचरू
3/4/2. पिंटू पुत्र कचरू
3/5. मुन्ना पुत्र तुलछा
3/6. दिनेश पुत्र तुलछा
4. रूपा पुत्र भंवरू
5. तेजा पुत्र भंवरू
जातियान– माली, निवासीगण– आ0कालू

दावा बाबत् इस्तकार हक व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व सपठित धारा 125 भू–राजस्व अधिनियम 1956

मु0न0 :रा0वा0 संख्या :– 70/2008(मूल वाद संख्या : 06/1987)

निर्णय व डिक्री दिनांक :– 17.02.2022

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....–........ व हाजरी श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए तहसील जैतारण पटवार हल्का आनन्दपुर कालू चक प्रथम के ग्राम लिलरिया की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 476 रकबा 6–02 बीघा के भू अभिलेख में विधि विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण रूप से बतौर खातेदार दर्ज प्रतिवादीगण का नाम विलोपित करते हुये मृतक वादी हापूराम पुत्र चन्दणाराम/चन्द्राराम के वारिसान वादीगण को वादग्रस्त आराजी के खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये शाश्वत व्यादेश पाबन्द किया जाता हैं कि वे स्वयं या उनके नौकर चाकर, हाली एजेन्ट आदि द्वारा वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का दखल व दस्तन्दाजी न करें न ही करावें। खर्चा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुकदमा वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपना अपना स्वयं वहन करेगें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .. -.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 17/02/2021 को सरे ईजलास जारी किया गया ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	09	-00	स्टाम्प वकालतनामा	22	-00
स्टाम्प वकालतनामा	02	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	11	-00	महनताना वकील		
महनताना वकील		-	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	06	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	26	-00	मिजानः-	22	-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:02 IST
Reason: SelfAttested